# भारत सरकार
# रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

**क्रम सं. पीसी-VI/97**

**आरबीई सं. 64 /2009**

**सं. पीसी-VI/2008/आई/आरएसआरपी/1/पार्ट-3**

**नई दिल्ली, दिनांक: 09.04.2009**

**महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)**
**सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां**
(डाक सूची के अनुसार)

**विषय: उन मामलों, जहां रेल सेवक रविवार या राजपत्रित अवकाश के कारण किसी वर्ष की 1 जनवरी को पदोन्नति/नियुक्ति पर एक विशिष्ट ग्रेड वेतन में पदों का कार्यभार नहीं ग्रहण कर पाता, में अगली वेतनवृद्धि की तारीख - के संबंध में स्पष्टीकरण।**

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के अनुसार, 01.01.2006 से सभी रेल कर्मचारियों के मामले में वेतनवृद्धि की एक समान तारीख अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई को संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह और उससे अधिक समय पूरा करने वाले रेल कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम के उपर्युक्त उपबंध से यह ज्ञात होता है कि वे रेल सेवक, जिन्होंने किसी वर्ष की 1 जुलाई को 6 महीने से कम की सेवा की हो, वे उस दिन वेतनवृद्धि आहरण हेतु पात्र नहीं होंगे और उनकी वेतनवृद्धि की तारीख अगली पहली जुलाई को 12 महीने बाद पड़ेगी। तदनुसार, सभी रेल कर्मचारी जिन्होंने किसी वर्ष की 1 जनवरी को पदोन्नति/नियुक्ति के कारण एक विशिष्ट ग्रेड में कार्यभार ग्रहण किया है उस वर्ष की पहली जुलाई को अपनी वार्षिक वेतनवृद्धि आहरण हेतु पात्र होंगे। बहरहाल, वे कर्मचारी जिन्होंने 02 जनवरी और 30 जून के बीच कार्यभार ग्रहण किया हो, इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनज़र, उन मामलों, जहां रेल सेवक पहली जनवरी को रविवार या राजपत्रित अवकाश होने के कारण किसी वर्ष की 1 जनवरी को पदोन्नति/नियुक्ति पर एक विशिष्ट ग्रेड वेतन में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं, में अगली वेतनवृद्धि की तारीख के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सामान्यत: यदि किसी रेल सेवक को किसी वर्ष की पहली जनवरी को नियुक्ति/पदोन्नति पर किसी ग्रेड वेतन में कार्यभार ग्रहण करना था लेकिन वह केवल इसलिए कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाया क्योंकि वर्ष की पहली जनवरी को रविवार या राजपत्रित अवकाश था, ऐसे रेल सेवक जिन्होंने वर्ष के पहले कार्यदिवस को कार्यभार ग्रहण किया हो, को उस वर्ष की पहली जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन हेतु 6 महीने की सेवा पूरा किया जाना समझा जाएगा।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

**(यू.के. तिवारी)**
**उप निदेशक, वेतन आयोग-V**
**रेलवे बोर्ड**

**सं. पीसी-VI/2008/आई/आरएसआरपी/1/पार्ट-3**

**नई दिल्ली, दिनांक: 09.04.2009**

**प्रतिलिपि: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।**

**कृते वित्त आयुक्त, रेलें**

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF RAILWAYS**
**(Railway Board)**

**S. No.PC-VI/97**

**RBE No.64/2009**

**No.PC-VI/2008/I/RSRP/1/Pt. 3**

**New Delhi, dated 09.04.2009**

**The GMs/CAO(R)**
**All Indian Railways & Production Units**
(As per mailing list)

**Subject: Date of next increment in cases where Railway Servants are not able to join posts in a particular grade pay on promotion/appointment on 1st of January of a year due to Sunday or Gazetted Holiday – Clarification regarding**

-.-.-

As per the provisions of Rule 10 of RS (RP) Rules, 2008 w.e.f 01.01.2006 in the case of all Railway employees there is a uniform date of increment, i.e. 1st of July of every year. Railway servants completing six months and above in the revised pay structure as on 1st of July are eligible to be granted the increment. From the above provision of RS (RP) Rules it flows that Railway servants who have rendered less than 6 months of service as on 1st of July of a year will not be eligible to draw increment on that day and their date of increment will fall 12 months later on the next 1st of July. Accordingly, all the Railway servants who join posts in a particular grade on account of promotion/appointment etc. on 1st of January of a year will be eligible to draw their annual increment on the 1st of July of that year. However, those who join the posts between 2nd January and 30th June will not be eligible for the same.

2. In the light of the above position, clarification has been sought regarding the date of next increment in cases where Railway servants are not able to join posts in a particular grade pay on promotion/appointment on 1st of January of a year due to 1st of January falling on a Sunday or Gazetted holiday. It has been clarified by the Ministry of Finance, Department of Expenditure that in the normal course, if a Railway servant was to join post in a grade pay on appointment/promotion on 1st of January of a year, but he could not join the post only because 1st of January of the year happened to be a Sunday or Gazetted holiday, the Railway servants who join posts on the 1st working day of the year will be treated to have completed 6 months of service on 1st of July of that year for the purpose of granting them annual increment on that day.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

**(U. K. Tiwari)**
**Dy. Director, Pay Commission-VI**
**Railway Board**

**No.PC-VI/2008/I/RSRP/1/Pt. 3**

**New Delhi, dated 09.04.2009**

**Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.**

**for Financial Commissioner/Railways.**